इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7 अंक सं. : 6 जनवरी 2015

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं --2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ---3
बैंकिंग जगत की घटनाएं ---5
विनियामकों के कथन ------------- ---------------------------------------9
बीमा ---11
उत्पाद एवं गठजोड -- 11
नयी नियुक्तियां / विदेशी मुद्रा ---- --12
बासेल -III - पूंजी विनियमन ---14
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं --------------------------------- -------15
शब्दावली --15
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां --15
संस्थान समाचार---16
बाज़ार की खबरें---18

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

बेटीं के लिए बचत खाता

सरकार ने बेटियों के लिए 'सुकन्या समृद्धि खाता' नामक एक नये लघु बचत लिखत की शुरुआत की घोषणा की है। उक्त लिखत बेटियों की शिक्षा और विवाह सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करेगा। यह खाता बेटी के दस वर्ष की आयु की होने तक उसके नैसर्गिक या विधिक अभिभावक द्वारा खोला और परिचालित किया जा सकता है, जिसके बाद वह स्वयं इसे परिचालित कर सकती है। इस खाते में रकमें अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जमा की जा सकती हैं। खाता 1,000 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में 1,000 रुपये की न्यूनतम और 1.5 लाख रुपये की अधिकतम जमा अपेक्षित होगी। खाते के पन्द्रह वर्ष पूरा कर लेने तक सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धिकृत ब्याज खाते में जमा किया जाएगा।

एटीम केन्द्रों पर अंतर-बैंक निधि अंतरणों हेतु डेबिट कार्ड

किसी बैंक का ग्राहक अब अपने खाते से किसी अन्य बैंक के खाते में किसी स्वचालित टेलर मशीन (ATM) के जरिये अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से धन अंतरित कर सकता है। कुछेक बैंकों ने डेबिट कार्ड के माध्यम से अंतर-बैंक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान कर रखी है। किसी ग्राहक को बस किसी एटीएम तक जाना होता है और रकम में तथा जिस व्यक्ति को धन अंतरित किया जाना है उसके 16 अंकीय डेबिट कार्ड संख्या को पंच करना होता है। ग्राहक का खाता तत्काल नामे हो जाता है तथा उक्त कार्ड से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति के खाते में रकम जमा हो जाती है।

बैंक एटीएमों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सेवाओं की संख्या बढ़ा कर शाखाओं में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या घटाने का प्रयास करत रहे हैं। इंटरनेट चैनलों के माध्यम से भी निधि अंतरण की सुविधा प्रदान की जाती है, किन्तु प्रेषक को लाभार्थी का नाम जोड़ने की जरूरत पड़ती है। कार्ड से कार्ड तक की त्वरित अंतरण के विपरीत इस बाद वाली प्रक्रिया में 24 घंटे तक लग जाते हैं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

2005 के पहले वाले नोट बदलने की समय-सीमा में विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2005 से पहले मुद्रित करेंसी नोटों को बदलने की समय-सीमा बढ़ा कर 30 जून, 2015 कर दी है। इस प्रकार के नोट उनके सम्पूर्ण मूल्य पर बदले जा सकते हैं और वे वैध मुद्रा बने रहेंगे। महात्मा गांधी श्रृंखला वाले नोट एक दशक से संचलन में रहे हैं तथा इन पुराने नोटों में से अधिसंख्यक नोट बैंक शाखाओं के माध्यम से वापस भी लिये जा चुके हैं। अतएव भारतीय रिज़र्व बैंक ने शेष बचे पुराने डिज़ाइन वाले नोटों को भी संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। इस अभियान की शुरुआत से अब तक उसने 52,855 करोड़ रुपये मूल्य के 144.66 करोड़ ऐसे नोटों को वापस लिया है। वापसी की यह कार्यवाही एक ही समय पर कई एक श्रृखलाओं वाले नोट संचलन में न रखने की अंतरराष्ट्रीय मानक प्रथा के अनुरूप है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया पर निगरानी रखने तथा उसका पुनरीक्षण करने का कार्य जारी रखेगा, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकल आधार वाले प्राथमिक व्यापारियों की परिपक्वता तक धारित सीमाएं घटाईं

बाज़ार की विद्यमान स्थितियों के कारण प्रतिभूतियों की उस मात्रा को जिसे परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, 200% से घटा कर पिछले वित्त वर्ष के अंत में प्राथमिक व्यापारी (PD) की लेखा-परीक्षित निवल स्वाधिकृत निधियों (NOF) का 100% किया □ रहा है। ये नयी सीमाएं 31 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी हो गई हैं। उन्हें नये मानदंडों का पालन करने में समर्थ बनाने हेतु प्राथमिक व्यापारियों को नये मानदंडों का पालन करने में समर्थ बनाने हेतु उन्हें उन्हें 31 दिसम्बर, 2014 को समाप्त पिछली तिमाही के लिए परिपक्वता तक धारित श्रेणी से एक अतिरिक्त अंतरण करने की अनुमति है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस के कामकाज का समय बढ़ाया

ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेनों तथा उसके साथ ही साथ तत्काल सकल भुगतान प्रणाली में बाज़ार के अन्य दायित्वों के निपटाने को सुगम बनाने के लिए तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) के कामकाज का समय बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, 29 दिसम्बर के बाद से भारतीय रिज़र्व बैंक ने कामकाज के समय को 9:00 बजे से बढ़ा कर 8:00 बजे तक कर दिया है और तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के कामकाज की समाप्ति के समय को सप्ताह के दिन बढ़ाकर 20:00 बजे तक कर दिया है। शनिवार के दिन उक्त पटल 8:00 बजे से 15:30 बजे तक खुला रहेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए टीआरईडीएस सम्बन्धित नये मानदंड जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारिक प्राप्य राशियों की भुनाई की एक ऐसी प्रणाली गठित करने हेतु मानदंड जारी किए हैं, जिससे बड़े कारपोरेटों तथा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य खरीदारों से बहुविध वित्तपोषकों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तीयन में सुविधा प्राप्त होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक टीआरईडीएस प्रणाली गठित करने हेतु 13 फरवरी, 2015 तक आवेदन प्राप्त करेगा। चूंकि टीआरईडीएस को किसी प्रकार का ऋण जोखिम उठाने की अनुमति नहीं होगी, उसकी न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 25 करोड़ रुपये होगी। प्रवर्तकों के अतिरिक्त कम्पनियां टीआरईडीएस की इक्विटी पूंजी के 10% से अधिक शेयरधारिता नहीं कर सकतीं। टीआरईडीएस के रूप में परिचालन करने की पात्र बनने के लिए कम्पनियों और उनके प्रवर्तकों को वित्तीय सुदृढ़ता और व्यवसाय संचालन के बारे में कम से कम पांच वर्ष का पिछला अच्छा रिकार्ड रखना होगा। टीआरईडीएस लागू हो जाने पर माल के अंतिम उत्पादक से भुगतान प्राप्त करने हेतु 90 से 120 दिनों तक प्रतीक्षा करने वाला कोई आपूर्तिकर्ता प्राप्य राशियों को भुनाने तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से परिचालित प्लेटफार्म में प्रारंभिक भुगतान प्राप्त करने में समर्थ होगा। टीआरईडीएस से बीजकों एवं विनिमय बिलों की भुनाई की सुविधा प्राप्त होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त कार्ड सीमा दोगुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया

इसके पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों (PPI) के प्रवर्तन एवं परिचालन के बारे में ऐसे दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें इस बात का उल्लेख था कि किसी भी पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत का न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उसमें इस बात का भी उल्लेख था कि पूर्णत: अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक तथा स्वरूप की दृष्टि से पुनर्भरणीय 50,000 रुपये तक के सीमित अवधि वाले पूर्व-प्रदत्त लिखत जारी किए जा सकते हैं और पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत में शेष राशि को किसी भी समय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इस श्रेणी के तहत जारी किए जा सकने वाले पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत की सीमा अब 50,000 रुपये से बढ़ा कर 1 लाख रुपये कर दी गई है। पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत में शेष राशि को किसी भी समय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपहार कार्डों की अधिकतम वैधता एक वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा पूर्णत: अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक बैंक खाते से आश्रित या परिवार के सदस्य को कई एक पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत जारी किए जाने की भी अनुमति दी है। एक लाभार्थी को केवल एक ही कार्ड जारी किया जा सकता है। बैंक पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों से सम्बन्धित संदेहास्पद लेनदेनों पर निगरानी रखने और वित्तीय आसूचना एकक भारत (FIU IND) को रिपोर्ट करने हेतु व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार के पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही जारी किए जाएंगे।

सफेद लेबल वाले एटीएमों के सम्बन्ध में दिशानिर्देश

सफेद लेबल वाले एटीएमों (WLAs) को अब कार्ड भुगतान नेटवर्क योजनाओं (पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत) के अधीन जारी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट / डेबिट / पूर्व-प्रदत्त कार्डों को स्वीकार करने की अनुमति है। सफेद लेबल वाले एटीएम प्रचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सम्बन्धित कार्ड नेटवर्क प्रचालकों के साथ या तो सीधे ही या फिर उनके प्रायोजक बैंकों के माध्यम से तकनीकी संयोजकता स्थापित कर रखी है। किसी अन्य कार्ड योजना के तहत □री कार्डों के मामले में प्रेषण और निपटान मौजूदा प्राधिकृत नेटवर्कों द्वारा की गई द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर सम्पन्न होगा। इसके अलावा, सफेद लेबल वाले एटीएमों में अंतरराष्ट्रीय कार्डों के उपयोग के लिए गतिशील मुद्रा परिवर्तन (DCC) की सुविधा की अनुमति देने हेतु मुद्रा परिवर्तन दर केवल किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक से प्राप्त की जाएगी। प्रायोजक बैंक की व्यवस्थाओं से नकदी आपूर्ति को असम्बद्ध करने में समर्थ बनाने के लिए अब सफेद लेबल वाले एटीएम प्रचालक सफेद लेबल वाले एटीएमों को नकदी की आपूर्ति करने हेतु अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। जहां नकदी सफेद लेबल वाले एटीएम प्रचालक द्वारा स्वाधिकृत होगी, वहीं उस नकदी की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व नकदी आपूर्तिकर्ता बैंक पर होगा।

मानकीकृत मोबाइल बैंकिंग परिचालन

मोबाइल बैंकिंग को सीवन-रहित एवं प्रयोक्तोनुकूल बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के पंजीकरण और कार्यशील होने में लगने वाले समय को न्यूनीकृत करने तथा उसके साथ ही एटीएमों, इंटरनेट बैंकिंग और मेलरों के माध्यम से सरल पंजीकरण सुविधा प्रदान करने की सलाह दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह महसूस करता है कि मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने (ऑन -बोर्डिंग) से सम्बन्धित कार्यविधियों में बेहतर मानकीकरण लाए जाने की आवश्यकता है। ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग समझाने के लिए बैंकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना आवश्यक है। उनके लिए ग्राहकों से मोबाइल बैंकिंग के लिए उनके मोबाइल नम्बरों को शाखा स्तर और अन्य संपर्क केन्द्रों में पंजीकृत कराने का भी अनुरोध करना जरूरी है। एमपिन सृजन और इस प्रक्रिया की अभिगम्यता को व्यापक बनाने के उद्देश्य से बैंक विविध चैनलों / पद्धतियों को अपना सकते हैं, यथा -

1) एटीएम चैनल
2) मोबाइल बैंकिंग के लिए यूएसएसडी मेनू (स्वयं अपने यूएसएसडी प्लेटफार्म और उसके साथ ही मोबाइल बैंकिंग हेतु अंतर-परिचालनीय यूएसएसडी प्लेटफार्म -दोनों) में दिए गएं विकल्प के माध्यम से
3) आवश्यक सुरक्षोपायों सहित बैंकों की अपनी इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट
4) एमपिन मेलरों (कार्डों हेतु पिन मेलरों की भांति) के उपयोग
5) उद्योग की पहलकदमी के रूप में साझी वेबसाइट भी तैयार की जा सकती है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का चार्टर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहक अधिकारों का एक ऐसा चार्टर जारी किया है जिसमें बैंक ग्राहकों के संरक्षण हेतु व्यापक मेहराबदार सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं तथा बैंक ग्राहकों के पांच मूलभूत अधिकारों को प्रतिज्ञापित किया गया है। ये अधिकार हैं : (i) उचित व्यवहार का अधिकार; (ii) पारदर्शिता, न्यायोचित एवं ईमानदार लेनदेन का अधिकार; (iii) अनुकूलता/उपयुक्तता का अधिकार; (iv) निजता का अधिकार; और (v) परिवाद निवारण एवं प्रतिकर (मुआवजे) का अधिकार।

बैंक अब अस्थिर दर पर उधार लेते हैं

अब तक बैंक अपनी अल्पावधिक जरूरतों के लिए निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक से एक स्थिर पुनर्खरीद (रेपो) दर पर लिया करते थे। हालांकि, अब बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी अधिकांश अल्पावधिक जरूरतों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से बाज़ार दरों के निकट वाली दर पर उधार लें। ऊर्जित पटेल समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर, 2013 में मीयादी पुनर्खरीद व्यवस्था को अपना लिया। ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को स्थिर दर पर असीमिति निधियां नहीं देना चाहता था और वह अपनी नीतिगत दर में परिवर्तनों को उधारकर्ताओं तक शीघ्रता से पहुंचाना चाहता था। पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी पुरानी पुनर्खरीद सुविधा पर बैंकों की निर्भरता को उनके द्वारा उधार ली जा सकने वाली रकम को सीमित करके घटा दिया था। इसके बजाय कमी को उसके द्वारा रखी गई मीयादी पुनर्खरीद नीलामियों (7 और 14 दिवसीय अवधियों के लिए की जाने वाली) द्वारा पूरा किया जाता है। बैंक एक-दिवसीय निधियां वे जिन दरों पर उधार लेना चाहते हों उसके लिए बोली लगा कर उधार ले सकते हैं।

अनर्जक आस्तियों को इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु मानदंड

चूंकि बैंक ऋणों से सम्बन्धित कारपोरेट चूकों के मामले में अपने विपद्ग्रस्त कर्जों को इक्विटी में परिवर्तित करना चाहते हैं, वित्तीय विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिज़र्व बैंक ऋणदाताओं द्वारा इस प्रकार की शेयर खरीदियों के लिए एक व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों को वसूल करने हेतु कर्ज को इक्विटी में परिवर्तित करने वाली व्यवस्था का संकेत दिया है।

एटीएम पर्चियों और एसएमएसों के शीघ्र ही हिन्दी में मिलने की संभावना

बैंक लेनदेनों से सम्बन्धित संदेश और स्वचालित टेलर मशीनों (ATMs) में पर्चियां शीघ्र ही हिन्दी में मिल सकती हैं। राजभाषा विभाग ने वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवाएं विभाग को प्रेषित हाल के एक

पत्र में कहा है कि "बैंकों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि ई-मेल और एसएमएसों के जरिये ग्राहकों को भेजी जाने वाली सूचना हिन्दी में हो।"

असहयोगी उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक का रुख

बैंक ऋणों को चुकाने का सामर्थ्य होने के बावजूद वैसा न करने वाले उधारकर्ताओं के समक्ष असहयोगी के रूप में वर्गीकृत किए जाने का जोखिम उपस्थित हो गया है। चूककर्ता उधारकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य वाली भारतीय रिज़र्व बैंक की इस मुहिम से यह सुनिश्चित होगा कि असहयोगी के रूप में वर्गीकृत कम्पनियों को नयी निधियां नहीं प्राप्त होंगी। असहयोगी उधारकर्ता वह होता है जो ऋणदाताओं के उनकी प्राप्य राशियों को वसूल करने के प्रयासों से जान-बूझ कर बचता है। एक अतिरिक्त उल्लेख के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी उधारकर्ता को असहयोगी के रूप में वर्गीकृत / गैर-वर्गीकृत करने तथा ऐसे चूककर्ताओं से सम्बन्धित सूचना की रिपोर्ट बड़े ऋणों से सम्बन्धित केन्द्रीय सूचना संग्राहक को भेजने हेतु मानदंड भी निर्धारित किया है।

बैंकों द्वारा उधार दोगुना बढ़ कर 63 लाख करोड़ रुपये हुआ

इस वित्तीय वर्ष के द्वितीयार्ध में सितम्बर के अंत से वाणिज्यिक बैंकों ने एक वर्ष पहले की उसी अवधि में प्रदत्त रकम का दोगुना उधार दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 31 दिसम्बर, 2014 के दिन वाणिज्यिक बैंकों द्वरा दिए गए कुल ऋणों की रकम 63 लाख करोड़ रुपये थी। यह स्तर 10.88 % की वर्षानुवर्ष वृद्धि का निरूपण करता है, जो पिछली तिमाही में दर्ज 11.6% की वर्षानुवर्ष वृद्धि से कम है। हालांकि, निरपेक्ष दृष्टि से बैंकों ने एक वर्ष पहले की इसी अवधि में उनके द्वारा दिए गए 64,800 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले सितम्बर अंत से 1.4 लाख करोड़ रुपये अधिक उधार दिया है। यद्यपि बैंकों को अब भी ऋणों में कुछ अनुभवगम्य वृद्धि दर्शाना शेष है, तथापि मूलभूत सुविधा, विशेषत: सड़क क्षेत्र को ऋणों में तेजी के लक्षण दिखाई देने के कारण उनकी ऋण बहियों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी परिलक्षित हो रही है।

जन-धन के अधीन लाभ पाने हेतु किसी नये खाते की जरूरत नहीं

वित्त मंत्रालय के एक वक्तव्य के अनुसार पहले से बैंक खाता रखने वाले लोगों के लिए प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल दुर्घटनात्मक बीमे के लाभ प्राप्त करने हेतु उनके मौजूदा खाते में जारी रूपे कार्ड प्राप्त करना होगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मौजूदा खाते में प्रदान की जा सकती है। 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के सभी कार्डधारकों को 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा। इस लाभ को प्राप्त करने हेतु रूपे कार्ड का उपयोग उसकी प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कम से कम एक बार किया जाना होगा।

आढ़तिया फर्में अब अपने व्यवसाय को विविधीकृत कर सकती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य व्यवसाय मानदंडों के शिथिल किए जाने के परिणामस्वरूप अब लेनदारी लेखा क्रय (आढ़तिया) सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियां अपने व्यवसाय को विविधीकृत कर सकती हैं। नये मानदंडों के अनुसार आढ़तिया कम्पनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लेनदारी लेखा क्रय सेवा व्यवसाय में उनकी वित्तीय आस्तियों में उनकी सकल आय के कम से कम 50% (इसके पूर्व 75% के मुकाबले) का समावेश हो। लेनदारी लेखा क्रय सेवा प्रदान करने वाली फर्म व्यावसायिक संस्थाओं / कम्पनियों (माल के विक्रेताओं) की प्राप्य रायिों को बट्टे पर अभिगृहीत करने के व्यवसाय में संलग्न एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी होती है, जिसके द्वारा वह उक्त कम्पनी की तत्काल अनिरुद्ध (liquid) होने में सहायता करती है। इसके बदले में उक्त कम्पनी उधार की अवधि समाप्त हो जाने पर क्रेता से प्राप्य राशियों को वसूल करती है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 10 करोड़ आधार कार्डों को बैंक खातों से सम्बद्ध किया

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय वित्तीय मैपर ने 10 करोड़ बैंक खातों को आधार संख्याओं से जोड़ने का कीर्तिस्तंभ पार कर लिया है। इससे सरकारी विभागों / एजेन्सियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के हिताधिकारियों तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त हुई है। उक्त मैपर उस आधार भुगतान सेतु (APB) प्रणाली पर पहुंच जाता है, जो जनवरी, 2013 में सक्रिय हुई थी। इस आधार भुगतान सेतु प्रणाली के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक ओर तो सरकारी विभागों और तेल विपणन कम्पनियों जैसी अन्य सरकारी एजेन्सियों तथा उनके प्रायोजक बैंकों और दूसरी ओर लाभार्थी बैंकों और अंतिम हिताधिकारी को जोड़ देता है। भुगतान सेतु प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को देश की सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों में सादगी और नवोन्मेष लाने के उसके समग्र कार्य क्षेत्र के भीतर देश के वित्तीय रूप से अपवंचित खण्ड तक पहुंचने में समर्थ बनाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को दी मौजूदा परियोजना ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति

मूलभूत सुविधा और मुख्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मौजूदा परियोजनाओं को उधार देने में ऋण पुनर्वित्तीयन हेतु उपलब्ध नकदी प्रवाहों के अनुरूप लचीला रुख अपनाने की अनुमति दी है। यह सुविधा अनर्जक ऋणों के लिए भी उपलब्ध होगी। अब तक आवधिक पुनर्वित्तीयन के विकल्प सहित परियोजना ऋणों की लचीली पुनर्व्यवस्थापन की सुविधा केवल 15 जुलाई, 2014 के बाद परियोजनाओं के लिए स्वीकृत नये ऋणों हेतु ही उपलब्ध थी। नये ऋणों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुकौती अवधि के सम्बन्ध में कोई उच्चतम सीमा या न्यूनतम सहमत सीमा नहीं निर्धारित की थी। भारतीय रिज़र्व बैंक की इस मुहिम से मूलभूत सुविधा और मुख्य क्षेत्र की उन कम्पनियों को लाभ होगा जिनके पास कुछेक लाख करोड़ रुपये के मूल्य वाली परियोजनाएं हैं, क्योंकि बैंक अब एक विस्तारित अवधि हेतु ऋण प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, केवल उन्हीं परियोजनाओं को दिए गए सावधि ऋण ही इसप्रकार के लचीले संरचनात्मक पुनर्वित्तीयन के पात्र होंगे जिनमें समस्त संस्थागत ऋणदाताओं के समग्र एक्सपोजर 500 करोड़ रुपये से अधिक हों।

भारतीय रिज़र्व बैंक 3,000 रुपये से कम के लेनदेनों हेतु द्विचरणीय सत्यापन समाप्त कर सकता है

एक ऐसी कार्रवाई जो उभरते ई-वाणिज्य उद्योग को बढ़ावा दे सकती है, में भारतीय रिज़र्व बैंक 3,000 रुपये से कम के ऑनलाइन लेनदेनों के लिए द्विचरणीय सत्यापन को समाप्त कर सकता है। वर्तमान में कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले प्रयोक्ताओं से एकबारगी पासवर्ड देना या फिर 3डी सुरक्षित प्रणाली का उपयोग करना अपेक्षित होता है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शीघ्र ही ऑनलाइन से जुड़े लेनदेनों के सम्बन्ध में नये दिशानिर्देश जारी किए जाने की आशा है। बताया □ाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑनलाइन लेनदेनों के लिए ईएमवी-समर्थित क्रेडिट / डेबिट कार्डों के उपयोग को अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर रहा है। बैंकों द्वारा ऑनलाइन लेनदेनों के लिए इनकी शुरुआत पहले ही कर दी गई है।

20 वर्षों के बाद 1रुपये का कगजी नोट वापस आने वाला है

भारत सरकार ने एक रुपये के करेंसी नोट नियम, 2015 के मुद्रण को अधिसूचित किया है, जो 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगा। अपेक्षाकृत अधिक लागत के कारण और उच्चतर मूल्यवर्ग वाले नोट मुद्रित करने की क्षमता को मुक्त रखने के लिए 1 रुपये के नोटों का मुद्रण नवम्बर, 1994 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद फरवरी, 1995 में 2 रुपये का तथा नवम्बर, 1995 में 5 रुपये का नोट भी बंद कर दिया गया था। तब से इन मूल्यवर्गों के लिए केवल सिक्के ही जारी किए गए हैं। हालांकि, पुराने नोट अब भी संचलन में हैं और वे वैध मुद्रा बने हुए हैं।

ऋण वृद्धि

ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड (CARE) की श्रेणी-निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-नवम्बर अवधि में ऋण वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 7.3% की वृद्धि के मुकाबबले 4.5% रही। इस धीमी गति का कारण मंद सकल घरेलू उत्पाद एवं औद्योगिक वृद्धि रहे। वृद्धिशील दृष्टि से ऋण का स्तर पिछले वर्ष की अप्रैल - नवम्बर वाली अवधि में दर्ज 3.86 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 2.9 लाख करोड़ रुपये रहा। कृषि और वैयक्तिक ऋण क्षेत्रों में ऋण में उच्चतर वृद्धि परिलक्षित हुई, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कमतर वृद्धि दिखाई पड़ी। कृषि क्षेत्र में मार्च - अक्तूबर 2014 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 5% की वृद्धि के मुकाबले 11.2% की वृद्धि परिलक्षित हुई। उद्योग क्षेत्र में ऋण-उठाव में पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 5.7% की तुलना में अपेक्षाकृत मंद वृद्धि परिलक्षित हुई। इसका कारण 1.9% की कमतर औद्योगिक वृद्धि और उच्चतर ब्या□दरें हो सकती हैं।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक ई-वाणिज्य सौदों के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर खान ने बताया है कि शीर्ष बैंक ई-वाणिज्य लेनदेनों से सम्बन्धित विविध चिंताओं के निराकरण हेतु एक व्यवस्था करने की दिशा में कार्यरत है और वह शीघ्र ही अंतरों, यदि कोई हो, को पाटने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन की पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि "ई-वाणिज्य एक ऐसी चीज है जिसे आप नज़रंदाज़ नहीं कर सकते। इससें कुछेक मुद्दे जुड़े हैं और हम उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं।"

भारतीय रिज़र्व बैंक सॉवरेन बॉण्डों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय बैंक ने सॉवरेन बॉण्डों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का एक कार्यक्रम तैयार कर लिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों, अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और सरकारी प्रतिभूतियों में दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा सॉवरेन बॉण्डों में विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा 30 बिलियन अमरीकी डालर है। जहां डॉ. राजन ने किसी नयी सीमा का उल्लेख नहीं किया है, वहीं विस्तार का कार्यक्रम पूंजी अंतर्वाहों को अवशोषित करने के देश के सामर्थ्य के अनुरूप होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का पुनरीक्षण करने के बाद विदेशी बैंकों को इमदादीकरण हेतु प्रेरित करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी बैंकों के लिए नियत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार मानदंडों का उसके द्वारा पुनरीक्षण कर लिए जाने के बाद उन्हें इमदादीरण मार्ग अपनाने हेतु प्रेरित करेगा। विदेशी बैंकों ने उनके द्वारा पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी (WOS) का ढांचा अपना लिये जाने पर उन पर लागू की जाने वाली बाध्यताओं के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की है। मूल चिंताएं प्राथमिकता प्राप्त उधार के उन दायित्वों से सम्बन्धित हैं जो कृषि, लघु उद्योगों और शिक्षा □से विशेष क्षेत्रों को बैंक उधार अनिवार्य बना देते हैं। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों की पुनरीक्षा वाली प्रक्रिया से गुजर रहा है। डॉ. राजन के अनुसार देश में प्रवेश करने वाले नये विदेशी बैंक पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी योजना के ढांचे में आएंगे। अगस्त 2010 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी बैंकों को उनकी शाखाओं को पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों में रूपांतरित करना होगा। हालांकि यह रूपांतरण उन बैंकों के लिए स्वैच्छिक है जो भारत में 2010 से पहले से परिचालनरत हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक चालू खाते के घाटे के बारे में सतर्क है, उससे चिंतित नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बढ़ते चालू खाते के घाटे (CAD के प्रति सतर्क रहता है, यद्यपि वह उसके बारे में शंकालु नही रहता। □लू खाते का घाटा बढ़ कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% हो गया है, किन्तु उन्हे यह आंकड़ा सहज लगता है।

उन्होंने यह भी कहा है कि सोने का आयात बढ़ गया है; तेल की घटती कीमतों ने कुछ उपधान उपलब्ध कराया है। यह देखने का अच्छा समय है कि सोने पर प्रतिबंध हटाने का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि प्रतिबंधों को काफी लम्बे समय तक बनाए रखना कठिन होता है।

बीमा

अब बीमा विनियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है

बीमा प्राधिकरण से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के रूप में पुनर्नामित किया गया है। बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित किया गया था, में कुछेक परिवर्तन किए गए हैं, जिनकी परिणति नाम में परिवर्तन मे हुई है। उक्त अध्यादेश ने अन्य बातों के साथ ही बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत करने में भी समर्थ बनाया है।

इर्डा ने समूह स्वास्थ्य बीमा कीमत-निर्धारण के मानदंडों को कठोर बनाया

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने समूह स्वास्थ्य जोखिमों के सम्बन्ध में अपने मानदंडों को कठोर बना दिया है। चूंकि समूह स्वास्थ्य के लिए उद्योग-व्यापी 'बर्निंग कास्ट' भारतीय बीमा आसूचना ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं है, बीमाकर्ताओं को इसप्रकार के जोखिमों की हामीदारी करते समय विस्तृत प्रकटन करना चाहिए। विनियामक ने कहा है कि यदि कोई बीमाकर्ता स्वयं अपने विगत अनुभवों के आधार पर किसी विशिष्ट जोखिम की बर्निंग कास्ट का उपयोग करना चाहता है और उक्त जोखिम इसके पूर्व अन्य बीमाकर्ताओं में निहित था, तो निदेशक मंडल को निदेशक मंडल को उसकी भी रिपोर्ट दी जानी चाहिए । बर्निंग कास्ट आगामी बीमा अवधि में दावों की अनुमानित लागत होती है। बीमाकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग स्वयं अपने को ऐसे अपेक्षाकृत बड़े दावों से संरक्षित करने हेतु किया □ता है, जो प्रदत्त प्रीमियमों से अधिक होते हैं। किसी समूह स्वास्थ्य जोखिम की हामीदारी करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि जब तक भारतीय बीमा आसूचना ब्यूरों उद्योग-व्यापी बर्निंग कास्ट का निर्धारण नहीं कर देता सभी बीमाकर्ता किसी समूह स्वास्थ्य जोखिम की हामीदारी करते समय सामान्य बीमा परिषद द्वारा तैयार किए गए सूचना आरूप का किसी अपवाद के बिना उपयोग करेंगे। किसी पॉलिसी की हामादारी करने से पहले प्रस्तावक से अतिरिक्त सूचना भी मांगी जा सकती है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
फेडरल बैंक लिमिटेड	कोटक लाइफ इंश्योरेंस .	शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु विद्या सुरक्षा की शुरुआत करना।
अमेरिकन एक्सप्रेस	जेट एअरवेज	लघु एवं मध्यम कम्पनियों और उनके कार्यपालकों की व्यावसायिक यात्रा और उससे जुड़े खर्चों के सम्बन्ध में पर्याप्त बचत करने में सहायता करना।
दि सारस्वत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड	एवेन्यूज इंडिया प्रा. लि.एण्ड आईबीआईबीओ वेब प्रा. लि.	व्यापारियों को ऑनलाइन खरीदारी हेतु ऑनलाइन भुगतान करना।
आईडीबीआई बैंक	एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लि. (NDML)	किसी बीमा रिपोजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई बीमा पॉलिसियों के हिस्से की अनुमति देना।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री पी. श्री निवास	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
श्री आर. कोटेश्वरन	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक
श्री अनिमेष चौहान	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
श्री किशोर कुमार सांसी	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विजया बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**19 दिसम्बर, 2014 के दिन**	**19 दिसम्बर, 2014 के दिन**
	बिलियन रुपये	**मिलियन अमरीकी डालर**
	1	**2**

कुल प्रारक्षित निधियां	20, 147.8	3,19,,997.5
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	18, 634.1	2 95,670.9
ख) सोना	1, 176, 6	18,985. 2
ग) विशेष आहरण अधिकार	264,8	4, 199.0
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	72.1	1, 142 .4

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

जनवरी, 2015 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.44600	0.89300	1.29500	1.56700	1.76900
जीबीपी	0.65370	0.9330.	1.15365	1.3274	1.4455
यूरो	0.18350	0.181	0.222	0.286	0.364
जापानी येन	0.16380	0.164	0.175	0.201	0.240
कनाडाई डालर	1.48000	1.461	1.588	1.702	1.811
आस्ट्रेलियाई डालर	2.53000	2.420	2.415	2.600	2.690
स्विस फ्रैंक	0.62500	0.125	0.080	0.018	0.088
डैनिश क्रोन	0.43200	0.4375	0.4950	0.5736	0.6690
न्यूजीलैंड डालर	3.78000	3.840	3.910	3.960	4.008
स्वीडिश क्रोन	0.25500	0.288	0.388	0.513	0.660
सिंगापुर डालर	0.77000	1.110	1.455	1.730	1.920
हांगकांग डालर	0.56000	1.000	1.380	1.650	1.850
एमवाईआर	3.83000	3.830	3.900	3.990	4.050

स्रोत : www.fedai.org.in.

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में वित्त वर्ष 15 की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज -3.16 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोतरी

भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी आकड़ों से पता चला है कि 26 दिसम्बर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 3.16 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जो 2014-15 में अब तक की सर्वाधिक साप्ताहिक वृद्धि है। 19 दिसम्बर, 2014 के दिन विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 320 बिलियन अमरीकी डालर थीं, जो उस सप्ताह में 3.16 बिलियन अमरीकी डालर अधिक रहीं। प्रारक्षित

निधियों में वर्षानुवर्ष 24.49 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्ज हुई। विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 33.3 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाज़ार से डालरों की खरीद की होगी। व्यापक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक 2014 में हाजिर और वायदा, दोनों ही बाज़ारों में डालरों का निवल खरीदार रहा है। विदेशी निवेशक मुख्य रूप से ऋण बाज़ार में अमरीकी डालरों का निवेश करते रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2014 में अब तक बॉण्डों में 26.2 बिलियन अमरीकी डालर लगाए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इक्विटियों में भी लगभग 16 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है।

बासेल III - पूंजी विनियमन (क्रमशः)

बासेल-III पूंजी विनियमन पर चर्चा को जारी रखते हुए निम्नलिखित का वर्णन किया जा रहा है :

बाज़ार अनुशासन - (स्तंभ -3)

बाज़ार अनुशासन को प्रकटन आवश्यकताओं के एक समुच्चय का पैदा होना कहा जाता है, ताकि बाज़ार के सहभागी आवेदन, पूंजी, जोखिम एक्सपोजरों, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं के क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना के मुख्य अंशों और उसके फलस्वरूप संस्था की पूंजी पर्याप्तता को प्राप्त कर सकें। बाज़ार अनुशासन एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ बैंकिंग वातावरण के निर्माण में योगदान कर सकता है। इसलिए, निर्धारित प्रकटन आवश्यकताओं के अननुपालन पर वित्तीय जुरमाना सहित जुरमाना लगता है। बैंकों के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक ऐसी औपचारिक प्रकटन नीति होनी चाहिए जो बैंक कौन से प्रकटन करेगा यह निर्धारित करे तथा प्रकटन प्रक्रिया पर आंतरिक नियंत्रणों से सम्बन्धित मुद्दों का निराकरण करे।

बासेल III के तहत यथा-प्रवर्तित स्तंभ 3 के प्रकटन 01-07-2013 से प्रभावी होंगे और यथा-अपेक्षित प्रकटनों का पहला समुच्चय बैंकों द्वारा (31 मार्च, 2017 के बाद वाले टेम्पलेट जिन पर अलग से चर्चा की गई है, के अपवाद सहित) 30-09-2013 के दिन किया जाना चाहिए। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे स्तंभ 3 के प्रकटन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वित्तीय विवरण लेखा-परीक्षित हैं या नहीं, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम, सभी बैंकों के मामले में सामान्य प्रकटन तथा ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत आने वाले पोर्टफोलियो के लिए प्रकटन के अपवाद सहित कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर करें। बैंकों द्वारा ये प्रकटन कम से कम तिमाही आधार पर किए जाने चाहिए। सभी प्रकटन आवश्यक रूप से या तो बैंकों के प्रकाशित वित्तीय परिणामों / विवरणों में या न्यूनतम रूप से बैंक की वेबसाइट पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे ये प्रकटन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आरूप में करें। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा विनियामक प्रकटन खण्ड बनाए रखें जिसमें प्रकटन से सम्बन्धित समस्त सूचना बाज़ार के सहभागियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह लिंक वेबसाइट के मुख्यपृष्ठ पर प्रमुखता के साथ दर्शाया जाना चाहिए, ताकि उस तक पहुंच को आसान बनाया जा सके। बैंकों द्वारा उनकी वेबसाइटों पर पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधियों से सम्बन्धित कम से कम तीन वर्षों के टेम्पलेटों का एक पुरालेखागार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

दिवालियापन असम्बद्ध (Bankrutcy remote)

विशेष प्रयोजन संस्था/वाहन (SPV) के सृजन के संदर्भ में विधिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि प्रतिभूतिकरण के प्रवर्तक के दिवालिया हो जाने और उसकी आस्तियों के परिसमाप्त हो जाने की स्थिति में विशेष प्रयोजन संस्था और उसकी आस्तियों को कोई आंच न आए।

ऋण वृद्धि (Credit enhancement)

ये विशेष प्रयोजन संस्था को प्रतिभूत आस्तियों के समूह से होने वाली संभाव्य हानियों से बचने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं होती हैं। यह प्रवर्तक या अन्य पक्ष द्वारा दी जाने वाली ऋण जोखिम सुरक्षा होती है और यह किसी प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में निवेशकों के लिए उद्दिष्ट होती है।

शब्दावली

गतिशील मुद्रा परिवर्तन (Dynamic Currency Conversion)

गतिशील मुद्रा परिवर्तन (DCC) या कार्डधारक को अधिमान्य मुद्रा (CPC) एक ऐसी वित्तीय सेवा होती है जिसमें क्रेडिट कार्डों के धारक किसी विदेशी मुद्रा में भुगतान करते समय परिवर्तन लागत को बिक्री केन्द्र में अपनी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तत करवा लेते हैं। यह ग्राहकों को उनके कार्ड पर प्रभारित की जाने वाली स्वयं उनकी गृह मुद्रा में व्यक्त वास्तविक रकम देखने की सुविधा प्रदान करता है, किन्तु विनिमय दर सामान्यतया उनकी क्रेडिट कार्ड कम्पनी द्वारा दी जाने वाली दर की तुलना में कम अनुकूल होती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी, 2015 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	बैंकों में वसूली प्रबन्धन	15 से 17 जनवरी, 2015 (3 दिन)
2	सहकारी बैंकों के लिए खज़ाना प्रबन्धन	15 से 17 जनवरी, 2015 (3 दिन)

बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं प्रशिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

4थे अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षको के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 23 से 28 फरवरी, 2015 तक (6 दिन) लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, मुंबई में किया जाएगा। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।)

संस्थान समाचार

इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

डॉ. जिबेन्दु नारायण मिश्र ने 15 दिसम्बर, 2014 को संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सेवारंभ कर दिया है। संस्थान में आने से पहले डॉ. मिश्र भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबन्ध निदेशक एवं कारपोरेट विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

मई / जून 2015 परीक्षाओं से अद्यतन पाठ्यक्रम की शुरुआत

जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस (B&F)में डिप्लोमा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को उन परिवर्तनों के कारण अद्यतन कर दिया गया है जो बैंकिंग एवं फाइनैंस के क्षेत्र में हुए हैं। जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस में डिप्लोमा परीक्षाओं के लिए उक्त पाठ्यक्रम मई / जून और उसके बाद वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। अद्यतन पाठ्य-समग्री (अध्ययन सामग्री) जनवरी, 2015 के अंत तक बाज़ार में उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए आचरण संहिता

संस्थान ने हाल ही में आरंभ किए गए मिश्रित पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आचरण संहिता जारी करना आरंभ कर दिया है और उन्हें उसका पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया □ता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च फेलोशिफ

संस्थान हीरक जयन्ती और सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च (DJCHBR) फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

सूक्ष्म / स्थूल अनुसंधान

संस्थान द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए स्थूल अनुसंधान प्रस्ताव एवं सूक्ष्म अनुसंधान दस्तावेज़ आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

दिशानिर्देशों की निर्दिष्ट / अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल क्रमश: 30 जून और 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रते्क माह की 25 से 28 तक

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

01/12/14 06/12/14 08/12/14 10/12/14 13/12/14 15/12/14 17/12/14 19/12/14
20/12/14 26/12/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्तूबर, 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00

01/12/14 05/12/14 10/12/14 11/12/14 15/12/14 17/12/14 19/12/14 22/12/14
30/12/14 31/12/14

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

29000

28500
28000
27500
28000
27800
27000
26500

03/12/14 09/12/14 10/12/14 11/12/14 12/12/14 16/12/14 19/12/14 22/12/14 23/12/14 24/12/14 31/12/14

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे.एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जनवरी, 2015

Mrs. Preeti A. Tiwari
101, Gorai Shree Sahyog CHS Ltd.
Plot No.. 36, RSC 19, Gorai-II
Borivali (west) , MUMBAI -400091

BILL

Charges for Hindi Translation and Hindi Typing for 8 pages printed matter Pertaining to I.I.B.F-Vision, **DECÈMBER, 2014 & JANUARY, 2015** Issues @ lump-sum rate of Rs. 3,000/ per issue. (Rs 3,000 X 2 = Rs. 6,000/	Rs. 6,000.00
	.
	Rs. 6,000.00

(Rupees Six Thousand Only)

(MRS. PREETI A. TIWARI)